न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम पप्पू पुत्र रामकिशन जाति मीना नि. भूड़ला भूतपुरा

मिसल न. 02/2024 निर्णय दिनांक-07.05.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रजवास ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की पप्पू पुत्र रामकिशन जाति मीना नि. भूड़ला भूतपुरा तहसील लवाण ने ग्राम भूड़ला भूतपुरा के आराजी खसरा नंबर 640 किस्म चारागाह कुल रकबा 11.39 है० मे से रकबा 0.01 है० भूमि पर संवत 2081 फसल वर्ष जायद मे पक्का निर्माण व टीन शेड डालकर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद तामील उपस्थित हुआ तथा अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है. तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर बने पक्का निर्माण व टीन शेड से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.09 रु. का 50 गुना 4.50 रु. अर्थात 5.00 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक रजवास एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल रजवास को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 07.05.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

(मुहर: तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लवाण (जिला दौसा))

रा० ले० स० 4 वर्ष 2024-25
पृ.सं. 72 की पृष्ठ सं. 72 पर 5 रु.
की मांग कायम की।
तहसील राजस्व लेखाकार

(सोहन लाल मीणा)
तहसीलदार
लवाण जिला दौसा(राज.)